झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका - 202/2018

शक्ति पद दास पिता स्वर्गीय भरत चंद्र दास, निवासी ग्राम रोलाडीह, डाकघर-जूरी, थाना-पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य.

2. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, डाकघर+थाना - साकची, नगर-जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम।

3. अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, डाकघर+थाना-साकची, टाउनजमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम।

4. अंचल अधिकारी, पोटका, डाकघर+थाना-पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम।

5. कार्यालय मंत्री, जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, डाकघर+थाना - चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम। ..... **प्रतिवादी**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री सैबल मित्रा, अधिवक्ता
श्री सैयद टी. साजिद, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के लिए : श्री मिथिलेश सिंह, जी.ए IV

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दो प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:-

I. प्रथम प्रार्थना यह है कि अंचल अधिकारी, पोटका द्वारा जारी पत्रांक 542 दिनांक 04.08.2017 को निरस्त किया जाए, जिसके द्वारा अंचल अधिकारी ने याचिकाकर्ता की भूमि ग्राम- जूरी, थाना संख्या 1367, राजस्व थाना- पोटका, थाना- पोटका, जिला- पूर्वी सिंहभूम, खाता संख्या 700, प्लॉट संख्या 797, क्षेत्रफल 1.41 एकड़, जो याचिकाकर्ता को बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के प्रावधान के तहत मिली है (जिसे आगे केस भूमि कहा जाएगा) के लिए बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा 18 के अंतर्गत लगान निर्धारण/निर्धारण करने से इनकार कर दिया है।

II. दूसरी प्रार्थना यह है कि संबंधित प्रतिवादियों को मामले की भूमि के संबंध में बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा 18 के तहत किराया निर्धारित करने के लिए उचित रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश जारी किए जाएं।

3. याचिकाकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता एक भूमिहीन व्यक्ति था। याचिकाकर्ता को बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा 14 (1) के अनुसार केस की जमीन मिली थी। प्रतिवादी-राज्य भूदान काश्तकार की जमीन का किराया निर्धारण करने के लिए बाध्य था, जिसे बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा 18 के अनुसार जमीन मिली है। वर्ष 1980 में भूदान प्रमाण पत्र मिलने के बाद याचिकाकर्ता को केस की जमीन पर कब्जा मिल गया और वह लगातार जमीन पर खेती कर रहा है। याचिकाकर्ता ने केस की जमीन के किराए के आकलन/निर्धारण के लिए अंचल अधिकारी, पोटका को एक आवेदन दिया, लेकिन अंचल अधिकारी, पोटका ने याचिकाकर्ता की केस की जमीन का किराया आकलन/निर्धारण नहीं किया। याचिकाकर्ता ने सिविल रिट याचिका संख्या 3512/2015. दिनांक 20.03.2017 के आदेश द्वारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने सक्षम प्राधिकारी/प्रतिवादी संख्या 4- अंचल अधिकारी, पोटका को निर्देश देते हुए उक्त रिट याचिका का निपटारा किया कि वे आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः 16 सप्ताह के भीतर अभिलेखों के समुचित सत्यापन के पश्चात शिकायत के संबंध में याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करें और निर्णय लें। अंचल अधिकारी, पोटका ने दिनांक 04.08.2017 को पत्र संख्या 542 द्वारा, जिसकी प्रति इस रिट याचिका के अनुलग्नक-10 में रखी गई है, याचिकाकर्ता को सूचित किया कि विचाराधीन भूमि वर्ष 1988-89 में दो रैयतों के पक्ष में पहले ही बंदोबस्त हो चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ता के पक्ष में मामले की भूमि के संबंध में लगान तय करना उचित नहीं होगा। आरोप है कि अंचल अधिकारी, पोटका का उक्त आदेश बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के अनिवार्य प्रावधानों के विरुद्ध है।

4. इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस रिट याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाए।

5. दूसरी ओर प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने दलील दी कि मामले की भूमि का निपटान परेश सरदार के साथ निपटान मामला संख्या 269, 1988-89 और चंद्रशेखर नायक के साथ निपटान मामला संख्या 423, 1988-89 के तहत पहले ही हो चुका है और याचिकाकर्ता के पास निपटान के लिए कोई भूमि नहीं बची है। इसके बाद दलील दी गई कि यह अच्छी तरह से जानने के बाद भी कि मामले की भूमि का निपटान परेश सरदार और चंद्रशेखर नायक के पक्ष में किया जा चुका है, याचिकाकर्ता ने इसे रद्द करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है और न ही परेश सरदार और चंद्रशेखर नायक को

इस रिट याचिका में पक्षकार बनाया है और निश्चित रूप से उनकी पीठ पीछे उनके पक्ष में किया गया समझौता रद्द नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह दलील दी गई है कि यह रिट याचिका, बिना किसी योग्यता के, खारिज की जानी चाहिए।

6. बार में किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, निर्विवाद तथ्य यह है कि मामले की भूमि दो निपटान मामलों द्वारा परेश सरदार और चंद्रशेखर नायक के पक्ष में तय की गई है। हालांकि याचिकाकर्ता का दावा है कि मामले की भूमि उसके कब्जे में है, लेकिन यह असंगत है कि यदि याचिकाकर्ता के उक्त समझौते को सही माना जाता है, तो याचिकाकर्ता की भूमि याचिकाकर्ता को कोई नोटिस दिए बिना परेश सरदार और चंद्रशेखर नायक के पक्ष में कैसे तय की गई है। इसलिए, निश्चित रूप से विवादित तथ्य शामिल हैं। इस रिट याचिका में इस पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

7. तदनुसार, इस रिट याचिका का निपटारा इस छूट के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता भूदान बंदोबस्त के दावे और मामले की भूमि पर याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए कब्जे के आधार पर परेश सरदार और चंद्रशेखर नायक के पक्ष में किए गए बंदोबस्त को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करके अंचल अधिकारी, पोटका से संपर्क कर सकता है और यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो अंचल अधिकारी, पोटका परेश सरदार और चंद्रशेखर नायक को नोटिस जारी करने के बाद कानून के अनुसार उस पर विचार करेंगे।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले की भूमि के किराये के निर्धारण/मूल्यांकन के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है।

9. इस रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांक 30 जनवरी, 2024
AFR/ Animesh

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।